राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट जयपुर, दिनांक : 27 अक्टूबर, 2020

संशोधित आदेश

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 8983 दिनांक 27.10.2020 के क्रम में पुनर्विचार करते हुए जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर जिले की नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा जिले की नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के नगरीय निकाय चुनाव–2020 के परिपेक्ष्य में **सूखा दिवस** हेतु जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.10.2020 को निम्नानुसार **प्रतिस्थापित** किया जाता है :–

जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर जिले की नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा जिले की नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर **उक्त छः नगर निगमों के सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में** राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 27.10.2020 को सायं 5.30 बजे से दिनांक 29.10.2020 को सायं 5.30 बजे तक एवं दिनांक 30.10.2020 को सायं 5.30 से दिनांक 01.11.2020 को सायं 5.30 बजे तक के लिए सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

(औंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.4(1)(1)नपा/रानिआ/2020/8983 दिनांक 27.10.2020 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलक्टर **जयपुर/जोधपुर/कोटा**
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त **जयपुर/जोधपुर/कोटा**
10. जिला आबकारी अधिकारी **जयपुर/जोधपुर/कोटा**
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव